

मुकदमों का विवरण

पश्चिम बंगाल राज्य और एक अन्य बनाम

एम/एस. चिरंजीलाल (खनिज) बागनडीह और एक अन्य के उद्योग

(सिविल अपील सं. 2022 की 8238) 12 सितंबर, 2023

[संजीव खन्ना और अरविंद कुमार, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: उच्च न्यायालय के समक्ष पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर की गई अंतर-न्यायालय अपील को अपीलकर्ता संख्या 2-संयुक्त सचिव, उद्योग, वाणिज्य और उद्यम विभाग, पश्चिम बंगाल या किसी अधिकृत अधिकारी को प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में खनन पट्टा निष्पादित करने के निर्देश के साथ खारिज कर दिया गया था, जो बागनडीह के प्रतिवादी संख्या 1-एम/एस. चिरंजीलाल (खनिज) उद्योगों के एकमात्र मालिक हैं।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 -धारा 10-ए-खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015-रियायत नियम, 2016 -आर. 61 और प्रावधान-पश्चिम बंगाल सरकार को प्रतिवादी नं. 61 के पक्ष में खनन पट्टा निष्पादित करने के लिए जारी किए गए निर्देश। 1-एम/एस. बागनडीह के चिरंजीलाल (खनिज) उद्योग:

आयोजित किया गया: यह अपीलार्थियों-पश्चिम बंगाल राज्य का रुख है कि वे विचाराधीन भूमि के एक एकड़ के मालिक हैं और इस हद तक, उन्हें खनन पट्टे को निष्पादित करने में कोई कठिनाई नहीं है-यह कथित रुख होने के कारण, जो भी माना गया है, प्रतिवादी संख्या 1-एम/एस को उक्त क्षेत्र के लिए खनन पट्टा देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। बागनडीह के चिरंजीलाल (खनिज) उद्योग-इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि पश्चिम बंगाल सरकार प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में 20.87 एकड़ भूमि के लिए खनन पट्टा निष्पादित करेगी-खनन पट्टा अनुदान के लिए शेष क्षेत्र के प्रति प्रत्यर्थी संख्या 1 के दावे को अस्वीकार और खारिज माना जाएगा। [पैरा 20 और 22]

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957-धारा 10-ए की उप-धारा (1) खान और खनिज (विकास और 278 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 12 एस. सी. आर.

277

विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015-संशोधन का उद्देश्य और उद्देश्य-तीन प्रकार की स्थितियों में अपवादों या बचत खंडों का अनुप्रयोग:

आयोजित किया गया: संशोधन अधिनियम, 2015 का उद्देश्य और उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खनिज संसाधनों का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया जाए-यही कारण है कि एम. एम. डी. आर. अधिनियम, 1957 की धारा 10-ए की उप-धारा (1) में कहा गया है कि आई. डी. 1 से पहले प्राप्त सभी आवेदन अयोग्य हो जाएंगे-अपवाद या बचत खंड एम. एम. डी. आर. अधिनियम, 1957 की धारा 10-ए की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट तीन प्रकार की स्थितियों पर लागू होता है-पहली श्रेणी वह है जहां आवेदन प्राप्त किया गया है। 11-एमएमडीआर अधिनियम, 1957 का ए-दूसरी श्रेणी वह है जहां एक टोही परमिट या एक पूर्वक्षण लाइसेंस दिया गया है, परमिट धारक या लाइसेंसधारक को खनन पट्टे के बाद एक पूर्वक्षण लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार है और राज्य सरकार को संतुष्ट किया जाता है कि परमिट धारक या लाइसेंसधारी ने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 10-ए की उप-धारा (2) के खंड (बी) के उप-खंड (i) से (iv) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का पालन किया है-इस वर्ग के मामलों को बचाने का कारण इस तथ्य के कारण है कि उन्होंने पुनर्निरीक्षण कार्यों या पूर्वक्षण कार्यों पर पैसा खर्च करके अपनी स्थिति में बदलाव किया था-तदनुसार, वैध अपेक्षा का सिद्धांत लागू होता है-तीसरी श्रेणी वह है जहां केंद्र सरकार [पैरा 14]

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957-खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015-पश्चिम बंगाल के वाणिज्य और उद्योग विभाग के उप सचिव द्वारा बागनडीह की 76 एकड़ भूमि के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1-एम/एस. चिरंजीलाल (खनिज) उद्योगों के पक्ष में डोलोमाइट खनन के लिए एक अनुदान आदेश जारी किया गया था, जो कुछ शर्तों के अधीन था-चाहे केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता हो या न हो:

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम एम./एस. चिरंजिलाल (खनिज) बागनडीह के उद्योग 280 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 12 एस. सी. आर.

आयोजित किया गया: हालांकि वर्तमान मामले में, अधिसूचना सं. एस. ओ. 423 (ई) दिनांक 10.02.2015, डोलोमाइट को एक लघु खनिज के रूप में अधिसूचित किया गया था और इसलिए, केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता इस कारण से नहीं थी कि अनुदान आदेश दिनांक 16.07.2015 को पूर्व-शर्तों के साथ हेज किया गया था, जिसमें पट्टा विलेख के निष्पादन से पहले विचाराधीन भूमि के मालिकों (रैयत) के सहमति पत्र जमा करने की आवश्यकता भी शामिल थी, या एक शर्त थी कि इस प्रभाव के लिए एक शर्त मसौदा पट्टे में शामिल की जाएगी-इसलिए, अनुदान आदेश दिनांक 16.07.2015 अंतिम है, और उसमें शर्तों को पूरा करने के अधीन है।[पैरा 16]

पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 1955-धारा 2 की उप-धारा (10) और धारा 4 की उप-धारा (2 ए)-रैयत भूमि-अर्थ-भूमि के संबंध में रैयत के अधिकार:

आयोजित किया गया: रैयत भूमि का उपयोग खेती आदि के लिए किया जाना है, न कि खनन के लिए-एक बार खनन गतिविधि शुरू होने के बाद रैयत भूमि का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे-डब्ल्यू. बी. एल. आर. अधिनियम, 1955 की धारा 2 की उप-धारा (10) के संदर्भ में, एक रैयत का अर्थ है कोई भी व्यक्ति या संस्था जो किसी भी उद्देश्य के लिए भूमि रखती है-हालांकि, डब्ल्यू. बी. एल. आर. अधिनियम, 1955 की धारा 4 की उप-धारा (2 ए) के संदर्भ में भूमि के संबंध में रैयत के अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को अपनी जोत से रेत निकालने, खुदाई करने या उपयोग करने की अनुमति नहीं देते हैं, या किसी भी व्यक्ति को ईंटों या टाइलों के निर्माण के लिए अपनी जोत की मिट्टी या मिट्टी खोदने या उपयोग करने की अनुमति नहीं देते हैं, सिवाय राज्य की लिखित अनुमति के।[पैरा 17]

पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 1955 -धारा 4 बी-भूमि के स्वरूप का संरक्षण:

आयोजित किया गया: डब्ल्यू. बी. एल. आर. अधिनियम, 1955 की धारा 4-बी में कहा गया है कि किसी भी भूमि पर कब्जा करने वाला प्रत्येक रैयत ऐसी भूमि का रखरखाव और संरक्षण इस तरह से करेगा कि क्षेत्र कम न हो या इसका चरित्र न बदले या भूमि को उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए परिवर्तित न किया जाए, जिसके लिए इसे निपटाया गया था या पहले रखा गया था, सिवाय कलेक्टर की लिखित पूर्व अनुमति के।[पैरा 17]

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957-पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 1955 -धारा 14 Y-एक अनुदान आदेश

दिनांक 16.07.2015 बागनडीह के प्रतिवादी संख्या 1-एम./एस. चिरंजिलाल (खनिज) उद्योगों के पक्ष में डोलोमाइट खनन के लिए वाणिज्य और उद्योग विभाग, पश्चिम बंगाल के उप सचिव द्वारा 76 एकड़ भूमि के संबंध में जारी किया गया था, जो कुछ शर्तों के अधीन था, जिसमें विचाराधीन भूमि (रैयत) के मालिकों के सहमति पत्र जमा करने की आवश्यकता भी शामिल थी-इसमें उल्लिखित एक अन्य शर्त यू/एस की अनुमति की आवश्यकता थी।14-डब्ल्यू. बी. एल. आर. अधिनियम, 1955 का वाई. आवश्यक भूमि धारण करने और भूमि के भूखंडों के लिए उपयुक्त प्राधिकारी से एस के संदर्भ में रूपांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए।4-डब्ल्यू. बी. एल. आर. अधिनियम, 1955 का सी:

आयोजित किया गया: डब्ल्यू. बी. एल. आर. अधिनियम, 1955 की धारा 4-सी से संबंधित विवाद का निर्णय केवल ज्ञापन संख्या के आधार पर नहीं किया जा सकता है। वी/आर. टी. आई./775/15 दिनांक 06.03.2017 उप जिला भूमि और भूमि सुधार कार्यालय, पुरुलिया द्वारा जारी किया गया कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि को 'डुंगरी' के रूप में दर्ज किया गया था-इसका कारण यह है कि रैयत भूमि खनन के लिए नहीं है-इस प्रकार, एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, क्योंकि रैयत भूमि का अनुदान और उसी भूमि का वर्गीकरण 'डुंगरी' के रूप में विरोधाभासी है-इसके अलावा, क्या प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्राप्त भूमि के मालिकों (रैयत) का सहमति पत्र अभी भी अच्छा है, प्रासंगिक होगा क्योंकि हस्तांतरण, विरासत आदि के कारण हाथ बदला जा सकता है-इससे संबंधित कानूनी मुद्दे हैं-पहला।- तथ्यों का पता लगाना आवश्यक है और उसके बाद ही कोई इस प्रश्न पर निर्णय और निर्णय ले सकता है कि क्या प्रत्यर्थी संख्या 1 रियायत नियम, 2016 के नियम 61 के प्रावधान के लाभ का हकदार है-इसकी पुष्टि और निर्धारण नहीं किया गया है-इस पर एक मुद्दा उठेगा कि क्या 1998 में प्रत्यर्थी संख्या 1 के नेतृत्व में आवेदन अभी भी अच्छा रहेगा क्योंकि उस समय, जब आवेदन का नेतृत्व किया गया था, केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता थी-एक और अंतर यह है कि डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. को एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया है,

हालांकि यह हमेशा प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा किए गए दावे को चुनौती दे रहा था-हालांकि, इन मुद्दों की जांच नहीं की जा रही है।
[पैरा 18 और 19] 281

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम एम./एस. चिरंजिलाल (खनिज) बागनडीह के उद्योग 282

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड बनाम एस. एल. सील, अतिरिक्त सचिव (इस्पात और खान), ओडिशा राज्य और अन्य,
(2017) 2 एससीसी 125:[2016] 11 एस. सी. आर. 149; भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य

और दूसरा, (2012) 4 एस. सी. सी. 246:[2012] 5 एस. सी. आर. 16; संदूर मैंगनीज

और आयरन ऑरेस लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य, (2010) 13 एससीसी 1:[2010] 11 एससीआर 240; भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड बनाम राजेश वर्मा, (2014) 5 एससीसी 551:[2014] 5 एस. सी. आर. 493; ऋषि किरण लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम कंडला पोर्ट ट्रस्ट और अन्य के न्यासी मंडल, (2015) 13 एस. सी. सी. 233: [2014] 5 एस. सी. आर. 411; राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड बनाम महा लक्ष्मी मिंग्रेट मार्केटिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, (1996) 10 एस. सी. सी. 405:[1996] 6 पूरक।एससीआर 368; थ्रेसियाम्मा जैकब और अन्य बनाम भूविज्ञानी, खनन और भूविज्ञान विभाग और अन्य, (2013) 9 एससीसी 725:[2013]

7 एस. सी. आर. 863-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:2022 का नागरिक आवेदन NO.8238

[2017 के एफ. एम. ए. No.1458 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय के दिनांकित 04.10.2018 के निर्णय और आदेश से]

रूप:

आनंद ग्रोवर, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री मंटिका हरियानी, श्रेयस अवस्थी, सुश्री आस्था शर्मा, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाता।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

संजीव खन्ना, जे।

यह अपील, विशेष अनुमति के माध्यम से, कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले को अपवाद मानती है, जिसके तहत पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य द्वारा एफ. एम. ए. संख्या 1458 में अंतर-न्यायालय अपील की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

2017 के सी. ए. एन. संख्या 6596 के साथ 2017 के अपीलार्थी संख्या 2-संयुक्त सचिव, उद्योग, वाणिज्य और उद्यम विभाग, पश्चिम बंगाल या किसी भी अधिकृत अधिकारी को प्रतिवादी संख्या 2-दिनेश अग्रवाल, बागनडीह के प्रतिवादी संख्या 1-एम/एस. चिरंजीलाल (खनिज) उद्योगों के एकमात्र मालिक के पक्ष में खनन पट्टे को निष्पादित करने के निर्देश के साथ खारिज कर दिया गया है। 2. तथ्यों पर बारीकी से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, हालांकि वे अलग-अलग हैं।आईडी1 पर, पश्चिम बंगाल खनिज विकास और व्यापार निगम लिमिटेड 1 ने मौज्जा-खरीदुआरा, कुमारी और बोच के भूखंडों में डोलोमाइट, चूना पत्थर और क्वार्ट्जाइट के लिए दीर्घकालिक खनन पट्टे के अनुदान के लिए एक आवेदन का नेतृत्व किया था।डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. के नेतृत्व में मौज्जा-खरीदुआरा, कुमारी, बोच और कंगमेट्या के भूखंडों में लौह अयस्क, मैंगनीज और फायरक्ले

के लिए दीर्घकालिक खनन पट्टे के अनुदान के लिए एक आवेदन भी दायर किया गया था। सहायक सचिव, वाणिज्य और उद्योग विभाग, खान शाखा, पश्चिम बंगाल द्वारा डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. के पक्ष में दिनांक आई. डी. 1 का अनुदान आदेश जारी किया गया था।

2.1 06.03.1998 पर, प्रतिवादी संख्या 1-एम/एस. चिरंजीलाल (खनिज) बागनडीह के उद्योग। उन्होंने 76 एकड़ भूमि में मौज़ा-खारीदुआरा, कुमारी और बोच में डोलोमाइट निकालने के उद्देश्य से खनन पट्टा देने के लिए खनन कार्यालय प्रभारी, पुरुलिया क्षेत्र, खान और खनिज निदेशालय, पश्चिम बंगाल के समक्ष एक आवेदन का नेतृत्व किया था।

2.2 बागनडीह के प्रत्यर्थी संख्या 1-मेसर्स चिरंजीलाल (खनिज) इंडस्ट्रीज ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष 2001 की रिट याचिका संख्या 7808 (डब्ल्यू) का नेतृत्व किया, जिसमें खनन पट्टा देने के लिए उनके आवेदन का निपटारा करने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने दिनांक 13.06.2001 के आदेश के माध्यम से राज्य के अधिकारियों को बागनडीह के प्रतिवादी संख्या 1-एम/एस. चिरंजीलाल (खनिज) उद्योगों के आवेदन का जल्द से जल्द और कानून के अनुसार निपटान करने का निर्देश दिया।

2.3. वाणिज्य और उद्योग विभाग, पश्चिम बंगाल के संयुक्त सचिव ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से, डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. के पिछले आवेदन को देखते हुए भूमि की अनुपलब्धता के आधार पर, बागनडीह के प्रतिवादी संख्या 1-एम/एस. चिरंजीलाल (खनिज) उद्योगों के आवेदन को खारिज कर दिया। दिनांक 26.03.2003 के एक अन्य आदेश द्वारा, संयुक्त सचिव, वाणिज्य और उद्योग विभाग, पश्चिम बंगाल ने दोहराया कि खनन आवेदन

1 संक्षेप में, 'डब्ल्यूबीएमडीटीसीएल'।

283

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम एम./एस. चिरंजिलाल (खनिज) बागनडीह के उद्योग [संजीव खन्ना, जे.] 284

उत्तरदाता संख्या 1-एम/एस. चिरंजीलाल (खनिज) बागनडीह के उद्योग डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. द्वारा पिछले आवेदन में आवेदन किए गए क्षेत्र के साथ ओवरलैप करते हैं। बागनडीह के प्रत्यर्थी संख्या 1-एम/एस. चिरंजीलाल (खनिज) उद्योगों का आवेदन तदनुसार खारिज कर दिया गया था।

2.4 पीड़ित, बागनडीह के प्रत्यर्थी संख्या 1-मेसर्स चिरंजीलाल (खनिज) इंडस्ट्रीज ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में 2003 की रिट याचिका संख्या 7505 (डब्ल्यू) का नेतृत्व किया था, जिसमें संयुक्त सचिव, वाणिज्य और उद्योग विभाग, पश्चिम बंगाल, दिनांक 13.03.2003 और 26.03.2003 द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दी गई थी। उक्त रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, पश्चिम बंगाल के वाणिज्य और उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव ने उपरोक्त आदेशों की समीक्षा की और डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. और बागनडीह के प्रत्यर्थी संख्या 1-एम/एस. चिरंजीलाल (खनिज) उद्योगों के बीच भूमि के विभाजन के लिए एक नया आदेश पारित किया। इस आदेश में कहा गया है कि मामले की समीक्षा करने के लिए 24.05.2006 और 19.06.2006 पर दो सुनवाई आयोजित की गई थी, और उसके बाद दिनांकित 19.06.2006 की सुनवाई में, WBMDTCL के प्रतिनिधियों और बागनडीह के प्रतिवादी संख्या 1-M/S. चिरंजीलाल (खनिज) उद्योगों की उपस्थिति में, यह सहमति हुई कि बागनडीह के प्रतिवादी संख्या 1-M/S. चिरंजीलाल (खनिज) उद्योगों को 76 एकड़ के पूरे खनन क्षेत्र की अनुमति दी जाएगी, और शेष क्षेत्र के लिए पट्टा WBMDTCL के पक्ष में दिया जाएगा। उक्त आदेश में कोई अन्य कारण नहीं बताया गया है और संकेत नहीं दिया गया है। इस प्रकार, बागनडीह के प्रत्यर्थी संख्या 1-एम/एस. चिरंजीलाल (खनिज) उद्योगों के आवेदन को अस्वीकार करने वाले 13.03.2003 और 26.03.2003 के आदेशों को वापस ले लिया गया। नतीजतन, बागनडीह के प्रतिवादी संख्या 1-एम/एस. चिरंजीलाल (खनिज) उद्योगों के पक्ष में 76 एकड़ भूमि के लिए आशय पत्र जारी किया गया था, जो विभिन्न दस्तावेजों को पूरा करने/जमा करने के अधीन था, जिसमें मुख्य खनन कार्यालय, आसनसोल द्वारा विधिवत अनुमोदित खनन योजना की मंजूरी और पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार से मंजूरी प्रमाण पत्र शामिल था।

2.5 हालाँकि, संयुक्त सचिव, वाणिज्य और उद्योग विभाग, खान शाखा, पश्चिम बंगाल द्वारा दिनांकित 13.10.2006 के आदेश को रद्द या रद्द कर दिया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह दर्ज किया गया था कि यह आदेश भूमि की सटीक स्थिति का पता लगाए बिना और इस तथ्य की अज्ञानता में पारित किया गया था कि 13.03.2003 और 26.03.2003 के अस्वीकृति आदेशों को पहले ही 2003 की रिट याचिका संख्या 7505 (W) में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा चुकी थी। अधिकारियों ने स्थिति का पता नहीं लगाया था।

[2023] 12 एस सी आर।

मामले से। 03.12.2010 दिनांकित रद्द करने या रद्द करने के आदेश को उत्तरदाताओं द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी।

2.6.आई. डी. 3 दिनांकित इस आदेश को भी उच्च न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था, जब 2003 की रिट याचिका संख्या 7505 (डब्ल्यू) को आई. डी. 2 दिनांकित आदेश के माध्यम से बागनडीह के प्रतिवादी संख्या 1-एम./एस. चिरंजीलाल (खनिज) उद्योगों के नेतृत्व में पूरक एफ. आई. डी. एफ. आई. पर भरोसा करके निपटा दिया गया था, जिसमें आई. डी. 1 दिनांकित वापस बुलाए गए आदेश का उल्लेख किया गया था। उच्च न्यायालय के इस आदेश में कहा गया है कि बागनडीह के प्रत्यर्थी संख्या 1-एम/एस. चिरनजीलाल (खनिज) उद्योगों के पक्ष में पट्टा या लाइसेंस दिए जाने के बारे में निर्णय आठ सप्ताह की अवधि के भीतर लिया जाएगा और बागनडीह के प्रत्यर्थी संख्या 1-एम/एस. चिरनजीलाल (खनिज) उद्योगों को तदनुसार सूचित किया जाएगा। यह स्पष्ट किया गया कि अनुदान के बारे में निर्णय कानून और विचार के समय लागू नियमों के आधार पर होगा।

2.7.पश्चिम बंगाल के वाणिज्य और उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा पारित दिनांक 09.07.2014 के आदेश द्वारा, बागनडीह के प्रत्यर्थी संख्या 1-एम/एस. चिरंजीलाल (खनिज) इंडस्ट्रीज के नेतृत्व में आवेदन को अन्य बातों के साथ-साथ डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. के नेतृत्व में पहले के आवेदन पर भरोसा करते हुए खारिज कर दिया गया था। विशेष रूप से, इस आदेश में उल्लेख किया गया है कि 13.03.2003 और 26.03.2003 दिनांकित दो अस्वीकृति आदेशों को संयुक्त सचिव द्वारा उनके दिनांकित 13.10.2006 आदेश के माध्यम से वापस ले लिया गया था। यह आदेश इस तथ्य को भी संदर्भित करता है कि विचाराधीन भूखंडों में लौह अयस्क, मैंगनीज और फायरक्ले के लिए डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. को दिनांकित अनुदान आदेश को रद्द कर दिया गया था और डोलोमाइट और चूना पत्थर के लिए डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. के नेतृत्व में दीर्घकालिक खनन पट्टे के लिए आवेदन को दिनांकित एक सामान्य आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। दिनांकित 24.09.2009 आदेश को रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है, हालांकि डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. के पक्ष में रद्द करने और अस्वीकार करने के कारणों का पता लगाना और जानना आवश्यक है। डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. ने पहले भी आवेदन किया था और यह पश्चिम बंगाल सरकार का एक उपक्रम है। दिनांकित 09.07.2014 आदेश से संकेत मिलता है कि WBMDTCL के खिलाफ रद्द करने और अस्वीकार करने का बागनडीह के प्रतिवादी संख्या 1-M/S. चिरंजिलाल (खनिज) उद्योगों से कुछ लेना-देना था, और संभवतः बागनडीह के प्रतिवादी संख्या 1-M/S. चिरंजिलाल (खनिज) उद्योगों के पक्ष में 13.10.2006 का आदेश था। यह दिनांकित 09.07.2014 आदेश में दिए गए कारण से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि चूंकि दिनांकित 13.10.2006 वापस बुलाने के आदेश को 285 के आदेश के माध्यम से रद्द या रद्द कर दिया गया था।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम एम./एस. चिरंजिलाल (खनिज) बागनडीह के उद्योग [संजीव खन्ना, जे.] 286

03.12.2010, 13.03.2003 और 26.03.2003 दिनांकित अस्वीकृति आदेश अभी भी मान्य थे और WBMDTCL द्वारा डोलोमाइट और लाइमस्टोन के लिए दिनांकित 07.08.1985 खनन पट्टे के लिए आवेदन अभी भी मौजूद है। इसके बाद, दिनांकित 09.07.2014 आदेश में खानों की धारा 11 2 की उप-धारा (2) का उल्लेख किया गया है।

2 11.कुछ व्यक्तियों का अधिमान्य अधिकार।- (1) जहाँ एक टोही परमिट

या किसी भूमि के संबंध में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया है, अनुज्ञप्ति धारक या अनुज्ञप्तिधारक को, यथास्थिति, किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में उस भूमि के संबंध में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा प्राप्त करने का अधिमान्य अधिकार होगा:

बशर्ते कि राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि परमिट धारक या अनुज्ञप्तिधारी, जैसा भी मामला हो, -

(क) ऐसी भूमि में खनिज संसाधन स्थापित करने के लिए, जैसा भी मामला हो, टोही अभियान या पूर्वेक्षण अभियान चलाया है;

(बी) टोही परमिट या पूर्वेक्षण लाइसेंस के नियमों और शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया है;

(ग) इस अधिनियम के प्रावधान के तहत अयोग्य नहीं हो गया है; और

(घ), जैसा भी मामला हो, जासूसी परमिट या पूर्वेक्षण लाइसेंस की समाप्ति के बाद तीन महीने के भीतर या ऐसी आगे की अवधि के भीतर, जो उक्त सरकार द्वारा बढ़ाई जा सके, पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे के अनुदान के लिए आवेदन करने में विफल नहीं हुआ है। (2) उप-धारा (1) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, जहां राज्य सरकार ने, यथास्थिति, सरकारी राजपत्र में, टोही

परमिट या पूर्वक्षेत्र लाइसेंस या खनन पट्टे के अनुदान के लिए क्षेत्र को अधिसूचित नहीं किया है और दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने ऐसे क्षेत्र में किसी भी भूमि के संबंध में पुनर्निरीक्षण परमिट, पूर्वक्षेत्र लाइसेंस या खनन पट्टे के लिए आवेदन किया है, तो जिस आवेदक का आवेदन पहले प्राप्त हुआ था, उसे उस आवेदक पर, जिसका आवेदन बाद में प्राप्त हुआ था, टोही परमिट, पूर्वक्षेत्र लाइसेंस या खनन पट्टे के अनुदान के लिए विचार करने का अधिमानी अधिकार होगा।

बशर्ते कि जहां कोई क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, टोही परमिट, पूर्वक्षेत्र लाइसेंस या खनन पट्टा देने के लिए उपलब्ध है और राज्य सरकार ने ऐसे परमिट, लाइसेंस या पट्टा देने के लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आवेदन आमंत्रित किए हैं, वहां ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदन और ऐसे क्षेत्र के भीतर भूमि के संबंध में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन से पहले प्राप्त किए गए आवेदन और जिनका निपटान नहीं किया गया था, उन्हें इस उप-धारा के तहत प्राथमिकता देने के उद्देश्यों के लिए उसी दिन प्राप्त किया गया माना जाएगा। बशर्ते कि जहां ऐसे कोई आवेदन उसी दिन प्राप्त होते हैं, राज्य सरकार, उप-धारा (3) में निर्दिष्ट मामलों को ध्यान में रखने के बाद, यथास्थिति, ऐसे आवेदकों में से किसी एक को टोही अनुमति, पूर्वक्षेत्र लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान कर सकती है, जिसे वह वास्तविक मानती है।

(3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट मामले निम्नलिखित हैं:- -प.व. १४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(क) आवेदक के पास, जैसा भी मामला हो, टोही संचालन, पूर्वक्षेत्र संचालन या खनन संचालन का कोई विशेष ज्ञान या अनुभव;
(ख) आवेदक के वित्तीय संसाधन;

(ग) आवेदक द्वारा नियोजित या नियोजित किए जाने वाले तकनीकी कर्मचारियों की प्रकृति और गुणवत्ता; (घ) वह निवेश जो आवेदक खानों और खनिजों पर आधारित उद्योग में करने का प्रस्ताव करता है;

((ङ) ऐसे अन्य मामले जो विहित किए जाएं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 3, जिसमें कहा गया है कि ऐसे मामलों में जहां राज्य सरकार ने सरकारी राजपत्र में जासूसी अनुमति, खनन पट्टे के लिए पूर्वक्षेत्र लाइसेंस देने के लिए एक क्षेत्र को अधिसूचित नहीं किया है, और दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने परमिट, लाइसेंस या खनन पट्टे के लिए आवेदन किया है, जिस व्यक्ति का आवेदन समय पर पहले प्राप्त हुआ है, उसे उस व्यक्ति पर परमिट, लाइसेंस या पट्टे के अनुदान के लिए अधिमानी अधिकार होगा जिसका आवेदन बाद में प्राप्त किया गया था। आदेश में कहा गया है कि डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. इस क्षेत्र में डोलोमाइट और चूना पत्थर के खनन में बहुत रुचि रखता है और उसने 05.06.2014 दिनांकित पत्र के माध्यम से लिखित रूप में उक्त तथ्य को स्वीकार किया है।

2.8. बागनडीह के प्रत्यर्थी संख्या 1-मेसर्स चिरंजीलाल (खनिज) इंडस्ट्रीज ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष 2014 की रिट याचिका संख्या 21358 (डब्ल्यू) में पश्चिम बंगाल के वाणिज्य और उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा पारित दिनांक 09.07.2014 के आदेश को चुनौती दी। इस याचिका का निपटारा दिनांक 3 के आदेश के माध्यम से किया गया था जिसमें कहा गया था कि संयुक्त सचिव, जिन्होंने दिनांक 1 का आदेश पारित किया था, अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहे थे क्योंकि डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. के नेतृत्व में आवेदनों को दिनांक 2 के सामान्य आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था और इसलिए लंबित नहीं थे। उच्च न्यायालय द्वारा यह देखते हुए कि प्रतिवादी को रायती का दर्जा प्राप्त है और शेष भूमि डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. को दी जा सकती है, बागनडीह के प्रतिवादी संख्या 1-एम./एस. चिरंजीलाल (खनिज) उद्योगों को 76 एकड़ भूमि के संबंध में दीर्घकालिक पट्टा देने का निर्देश जारी किया गया था। यह यहाँ ध्यान देने योग्य हो सकता है कि इस आदेश में दर्ज किया गया है कि

(4) उप-धारा (1) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, जहां राज्य सरकार, यथास्थिति, सरकारी राजपत्र में, टोही परमिट, पूर्वक्षेत्र लाइसेंस या खनन पट्टा देने के लिए किसी क्षेत्र की अधिसूचना करती है, ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों पर, जो तीस दिनों से कम नहीं होंगे, एक साथ विचार किया जाएगा जैसे कि ऐसे सभी आवेदन उसी दिन प्राप्त हुए हों और राज्य सरकार, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट मामलों को ध्यान में रखने के बाद, ऐसे आवेदकों में से किसी एक को, जैसा भी मामला हो, पूर्वक्षेत्र लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान कर सकती है।

(5) उप-धारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, लेकिन उप-धारा (1) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार, दर्ज किए जाने वाले किसी भी विशेष कारण के लिए, एक ऐसे आवेदक को, जिसका आवेदन बाद में प्राप्त किया गया था, एक ऐसे आवेदक की वरीयता में, जिसका आवेदन पहले प्राप्त किया गया था, एक टोही अनुमति, पूर्वक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा, जैसा भी मामला हो, प्रदान कर सकती है:

बशर्ते कि पहली अनुसूची में निर्दिष्ट खनिजों के संबंध में, इस उप-धारा के तहत कोई आदेश पारित करने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त की जाएगी।³ संक्षेप में, 'एमएमडीआर अधिनियम, 1957' 287

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम एम./एस. चिरंजीलाल (खनिज) बागनडीह उद्योग [संजीव खन्ना, जे.] 288 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 12 एस. सी. आर.

डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. का आवेदन अनुपलब्ध था। डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. को उक्त याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया था। विशेष रूप से, डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. के नेतृत्व में आवेदन पत्र, जो पहले लागू नियमों के संदर्भ में था, को प्राथमिकता दी जानी थी, जबकि बागनडीह के प्रतिवादी संख्या 1-एम/एस. चिरंजीलाल (खनिज) उद्योगों के नेतृत्व में आवेदन पत्र को दिनांक 13.03.2003 और 26.03.2003 के आदेशों के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, अस्वीकृति आदेशों को दिनांक 13.10.2006 के आदेश के माध्यम से वापस ले लिया गया और उत्तरदाता संख्या 1-एम/एस. चिरंजीलाल (खनिज) बागनडीह के उद्योगों के पक्ष में दिनांकित 26.10.2006 का आशय पत्र जारी किया गया। इसके बाद, बागनडीह के प्रत्यर्थी संख्या 1-मेसर्स चिरंजीलाल (खनिज) इंडस्ट्रीज के पक्ष में 13.10.2006 दिनांकित अनुदान आदेश को रद्द कर दिया गया और 13.12.2010 दिनांकित आदेश के माध्यम से वापस ले लिया गया। 13.12.2010 दिनांकित इस आदेश को कभी चुनौती नहीं दी गई थी और इसने वास्तविकता प्राप्त कर ली है। यह 13.10.2006 के आदेश और 13.12.2010 के आदेश के बीच की अवधि के दौरान है कि WBMDTCL के अनुरोध/आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था और 24.09.2009 के आदेश के माध्यम से खनन पट्टा रद्द कर दिया गया था।

2.9.10.02.2015 पर, अधिसूचना सं. एस. ओ. 423 (ई), डोलोमाइट को एक छोटे खनिज के रूप में अधिसूचित किया गया था, और तदनुसार अब से, राज्य सरकार के विधायी और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है। 2.10.76 एकड़ भूमि के संबंध में बागनडीह के प्रतिवादी संख्या 1-एम/एस. चिरंजीलाल (खनिज) उद्योगों के पक्ष में डोलोमाइट खनन के लिए पश्चिम बंगाल के वाणिज्य और उद्योग विभाग के उप सचिव द्वारा दिनांकित एक अनुदान आदेश जारी किया गया था, जो कुछ शर्तों के अधीन था, जिसमें पट्टा विलेख के निष्पादन से पहले विचाराधीन भूमि (रैयत) के मालिकों के सहमति पत्र जमा करने की आवश्यकता शामिल थी, या इस आशय की शर्त को पट्टे के मसौदे में शामिल किया जाएगा। उसमें उल्लिखित एक अन्य शर्त पश्चिम की धारा 14-वाई 4 के तहत अनुमति की आवश्यकता है।

4 14-Y. भविष्य में एक रैयत द्वारा भूमि अधिग्रहण पर सीमा।—अगर किसी भी समय, उसके बाद

इस अध्याय के उपबंधों के प्रारंभ में, किसी रियासत के स्वामित्व वाला भूमि का कुल क्षेत्रफल धारा 14-एम के अधीन उसके लिए लागू अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक हो जाता है, हस्तांतरण, विरासत या अन्यथा के कारण, भूमि का वह क्षेत्र जो अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक है, राज्य में निहित होगा और अधिकतम सीमा क्षेत्र से संबंधित इस अध्याय के सभी उपबंध ऐसी भूमि पर लागू होंगे:

बशर्ते कि कोई व्यक्ति जो पश्चिम बंगाल नगर और देश (योजना और विकास) अधिनियम, 1979 के प्रावधानों के अनुसार चाय बागान, मिल, कारखाना या कार्यशाला, पशुधन प्रजनन फार्म, पोल्ट्री फार्म, या डेयरी, या टाउनशिप स्थापित करने का इरादा रखता है, वह राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से लिखित रूप में और ऐसी शर्तों पर ऐसा कर सकता है।

बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 1955 5 डब्ल्यू. बी. एल. आर. अधिनियम, 1955 की धारा 4-सी 6 के संदर्भ में उपयुक्त प्राधिकारी से आवश्यक भूमि धारण करने और भूमि के भूखंडों के लिए रूपांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए। यह भी निर्धारित किया गया है कि अनुदान आदेश और पट्टा विलेख का बाद में निष्पादन केंद्र सरकार से प्राप्त किए जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र के अधीन है क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के समय डोलोमाइट एक प्रमुख खनिज था।

2.11. दिनांक 1 के अनुदान आदेश में निर्धारित शर्तों और आवश्यकताओं से व्यथित होकर, बागनडीह के प्रत्यर्थी संख्या 1-मेसर्स चिरंजीलाल (खनिज) इंडस्ट्रीज ने डब्ल्यू. पी. में दो अवमानना याचिकाओं का नेतृत्व किया।

और ऐसी शर्तों और इस तरह से कि राज्य सरकार नियमों द्वारा धारा 14-एम के तहत उस पर लागू अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि निर्धारित, अधिग्रहण और धारण करे:

बशर्ते कि यदि ऐसा व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार द्वारा अनुमति दी गई है, ऐसी अनुमति की तारीख से दो साल के भीतर ऐसी भूमि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं करता है जिसके लिए उसे राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण और धारण करने की अनुमति दी गई है, तो अधिकतम सीमा क्षेत्र से संबंधित इस अध्याय के सभी प्रावधान उस भूमि के क्षेत्र पर लागू होंगे जो धारा 14-एम के तहत उसके लिए लागू अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक है।

स्पष्टीकरण।—इस धारा के प्रयोजन के लिए, "व्यक्ति" में एक व्यक्ति, एक वित्तीय संस्थान, एक कंपनी, एक संस्था, या व्यक्तियों का एक संघ या निकाय शामिल है, चाहे वह निगमित हो या नहीं।

5 संक्षेप में, 'डब्ल्यूबीएलआर अधिनियम, 1955'।'

6 4-ग. क्षेत्र, चरित्र या भूमि के उपयोग में परिवर्तन के लिए अनुमति।—(1) एक रैयत धारण

ऐसी भूमि के क्षेत्र या स्वरूप में परिवर्तन के लिए या उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए जिसके लिए इसे बसाया गया था या पहले उपयोग किया जा रहा था या ऐसी भूमि के उपयोग के तरीके में परिवर्तन के लिए कोई भूमि कलेक्टर को आवेदन कर सकती है।

(2) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, कलेक्टर, ऐसी जांच करने के बाद जो निर्धारित की जाए और आवेदक या ऐसी भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को या किसी भी तरह से सुनवाई का अवसर देने के बाद, लिखित आदेश द्वारा या तो आवेदन को अस्वीकार कर सकता है या ऐसे परिवर्तन, रूपांतरण या परिवर्तन का निर्देश दे सकता है, जो भी मामला हो, ऐसे नियमों और शर्तों पर, जो निर्धारित किए जाएं।

(3) उप-धारा (2) के तहत परिवर्तन, रूपांतरण या परिवर्तन का निर्देश देने वाला प्रत्येक आदेश उस तारीख को निर्दिष्ट करेगा जिससे ऐसा परिवर्तन, रूपांतरण या परिवर्तन प्रभावी होगा।(4) उप-धारा (2) के तहत परिवर्तन, रूपांतरण या परिवर्तन, यदि कोई हो, का निर्देश देते हुए कलेक्टर द्वारा पारित आदेश की एक प्रति, या उससे किसी अपील में, वह धारा 50 या धारा 51 में निर्दिष्ट राजस्व कार्यालय को भेजेगा, और ऐसा राजस्व कार्यालय ऐसे आदेश द्वारा किए गए अधिकारों के रिकॉर्ड में किए गए परिवर्तनों को शामिल करेगा और ऐसे आदेश के अनुसार अधिकारों के रिकॉर्ड को संशोधित करेगा।

(5) यदि कलेक्टर को संतुष्ट किया जाता है कि किसी भूमि को उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए बुलाया जा रहा है जिसके लिए उसे बसाया गया था या पहले आयोजित किया जा रहा था, या ऐसी भूमि के उपयोग के तरीके में परिवर्तन करने या ऐसी भूमि के क्षेत्र या चरित्र में परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वह आदेश द्वारा रियासत को ऐसे अधिनियम से रोक सकता है।

289

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम एम./एस. चिरंजीलाल (खनिज) बागनडीह के उद्योग [संजीव खन्ना, जे.] 290

21358 (डब्ल्यू) 2014 का।इन अवमानना याचिकाओं का निपटारा, अन्य बातों के साथ-साथ, यह देखते हुए किया गया कि बागनडीह के प्रतिवादी संख्या 1-एम/एस. चिरंजीलाल (खनिज) उद्योगों को डब्ल्यू. बी. एल. आर. अधिनियम, 1955 की धारा 4-सी के तहत रूपांतरण प्रमाण पत्र और भारत सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने सहित शर्तों को पूरा करना आवश्यक था।इसलिए, अदालत ने पाया कि 10.09.2014 दिनांकित आदेश का कोई जानबूझकर या अपमानजनक उल्लंघन नहीं किया गया था।हालाँकि, बागनडीह के प्रत्यर्थी संख्या 1-एम/एस. चिरंजीलाल (खनिज) उद्योगों को दिनांकित अनुदान आदेश पर सवाल उठाने की स्वतंत्रता दी गई थी।

2.12. इसके बाद बागनडीह के प्रत्यर्थी संख्या 1-मेसर्स चिरंजीलाल (खनिज) इंडस्ट्रीज ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष 2016 की रिट याचिका संख्या 20309 (डब्ल्यू) को प्राथमिकता दी।हालाँकि, डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. इस रिट याचिका का पक्षकार नहीं था।इस बीच, वाणिज्य और उद्योग विभाग, पश्चिम बंगाल के उप सचिव द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था और भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण दिनांक 1 के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया था कि 2 से पहले भी डोलोमाइट एक गैर-अनुसूचित प्रमुख खनिज था, जिसके लिए एम. एम. डी. आर. अधिनियम, 1957 की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी।

2.13.2016 की इस रिट याचिका संख्या 20309 (डब्ल्यू) को निर्णय और दिनांक 12.04.2017 के आदेश के माध्यम से अन्य बातों के साथ यह देखते हुए अनुमति दी गई है कि डोलोमाइट 10.02.2015 से उत्सर्जित एक लघु खनिज बन गया था और इसलिए एम. एम. डी. आर. अधिनियम, 1957 की धारा 5 (1) के तहत केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। डब्ल्यू. बी. एल. आर. अधिनियम, 1955 की धारा 14-वाई और 4-सी के तहत आवश्यकताओं के सवाल पर, यह देखा गया है कि उप जिला भूमि और भूमि सुधार कार्यालय, पुरुलिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विचाराधीन भूमि को 'डूंगरी' के रूप में दर्ज किया गया है। वी/आर. टी. आई./775/15 दिनांक 06.03.2017 और यह कि 'डूंगरी' के रूप में वर्गीकृत भूमि का उपयोग केवल खनन पट्टे के उद्देश्य से किया जाता है और इस प्रकार, डब्ल्यू. बी. एल. आर. अधिनियम, 1955 की धारा 4-सी के तहत रूपांतरण प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और जिला भूमि और भूमि सुधार कार्यालय, पुरुलिया द्वारा दिनांकित 07.04.2016 का स्पष्टीकरण जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि बागनडीह के प्रतिवादी संख्या 1-मेसर्स चिरंजीलाल (खनिज) इंडस्ट्रीज ने रायती भूमि के बड़े हिस्से के संबंध में अलग-अलग मालिकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया था और यह कि राज्य सरकार स्वयं इसके मालिक थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

20.87 एकड़ भूमि, इस प्रकार डब्ल्यू. बी. एल. आर. अधिनियम, 1955 की धारा 14-वाई लागू नहीं होगी क्योंकि बागनडीह के प्रतिवादी संख्या 1-एम/एस. चिरंजीलाल (खनिज) उद्योगों ने डब्ल्यू. बी. एल. आर. अधिनियम, 1955 की धारा 14-एम के तहत निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक भूमि का अधिग्रहण नहीं किया है।

2.14. इस निर्णय को पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा 2017 की एफ. एम. ए. संख्या 1458 और 2017 की सी. ए. एन. संख्या 6596 के साथ एक अंतर-अदालत अपील में चुनौती दी गई थी, जिसे दिनांक 04.10.2018 के विवादित फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया है। एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए आदेशों से सहमति जताते हुए, खंड पीठ ने कहा है कि पश्चिम बंगाल लघु खनिज रियायत नियम, 2016 7 के प्रावधान लागू नहीं होंगे क्योंकि बागनडीह के प्रतिवादी संख्या 1-मेसर्स चिरंजीलाल (खनिज) इंडस्ट्रीज ने मार्च 1998 में आवेदन किया था, और विशेष रूप से संयुक्त सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार ने खनन पट्टा देने के लिए दिनांक 13.10.2006 का आदेश पारित किया था। 2014 की रिट याचिका संख्या 21358 (डब्ल्यू) में दिए गए उच्च न्यायालय के निर्देश, दिनांक 10.09.2014 के फैसले के माध्यम से रियायत नियम, 2016 के प्रवर्तन से पहले के हैं।

3. हमने पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 2-दिनेश अग्रवाल को सुना है, जो व्यक्तिगत रूप से पेश हुए हैं। उन्होंने अपनी लिखित दलीलें भी प्रस्तुत की हैं। 4. हम अपनी चर्चा की शुरुआत पहले रियायत नियम, 2016 के नियम 61 का उल्लेख करके करते हैं, जो इस प्रकार है:

“61. खनन पट्टा के लिए लंबित लघु खनिज आवेदनों की अयोग्यता को अस्वीकार करना, जिसमें निम्नलिखित आवेदन शामिल हैं -

प्रमुख खनिजों का पुनः वर्गीकरण किया गया।- लघु खनिजों के खनन पट्टे के लिए 12 फरवरी, 2015 के एस. ओ. संख्या-423 (ई) के अनुसार पुनर्वर्गीकृत लघु खनिजों सहित सभी आवेदन इस नियम को लागू करने से पहले प्राप्त हुए, चाहे इसकी लंबित अवधि कुछ भी हो, अयोग्य हो जाएंगे।

बशर्ते कि यदि आवेदक को अनुदान आदेश या आशय पत्र (एल. ओ. आई.) या कोई अन्य सरकारी आदेश जारी किया गया है जिसमें आवेदक की स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता है तो उसके खनन पट्टा आवेदन पर सभी आवश्यक शर्तों के उचित अनुपालन के बाद विचार किया जा सकता है।

7 संक्षेप में, 'रियायत नियम, 2016'।

291

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम एम./एस. चिरंजीलाल (खनिज) बागनडीह के उद्योग [संजीव खन्ना, जे.] 292

5. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 8 की धारा 10-ए को शामिल करके एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में लगभग इसी तरह का संशोधन किया गया था, जो इस प्रकार है:

10-ए. मौजूदा रियायत धारकों और आवेदकों के अधिकार।— (1)

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 की शुरुआत की तारीख से पहले प्राप्त सभी आवेदन अपात्र हो जाएंगे।

(2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ की तारीख को और उससे उप-धारा (1) के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, निम्नलिखित पात्र रहेंगे-(ए) इस अधिनियम की धारा 11-ए के तहत प्राप्त आवेदन;

(ख) जहां खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ से पहले किसी खनिज के लिए किसी भूमि के संबंध में एक टोही परमिट या पूर्वक्षण लाइसेंस दिया गया है, वहां परमिट धारक या अनुज्ञप्तिधारी को उस भूमि में उस खनिज के संबंध में, जैसा भी मामला हो, पूर्वक्षण लाइसेंस प्राप्त करने के बाद खनन पट्टा या खनन पट्टा प्राप्त करने का अधिकार होगा, यदि राज्य सरकार को संतुष्ट किया जाता है कि परमिट धारक या अनुज्ञप्तिधारी, जैसा भी मामला हो, -

((i) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार ऐसी भूमि में खनिज सामग्री के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए, जैसा भी मामला हो, टोही अभियान या पूर्वक्षण अभियान चलाया है;

((ii) टोही परमिट या पूर्वक्षण लाइसेंस के नियमों और शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया है;

((ग) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अयोग्य नहीं हो गया है; और (घ), यथास्थिति, टोही परमिट या पूर्वक्षण लाइसेंस की समाप्ति के बाद तीन महीने की अवधि के भीतर, या राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई गई ऐसी छह महीने से अधिक की अवधि के भीतर, पूर्वक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे के अनुदान के लिए आवेदन करने में विफल नहीं हुआ है;

8 संक्षेप में, 'संशोधन अधिनियम, 2015'।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

(ग) जहां केंद्र सरकार ने खनन पट्टा देने के लिए धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत आवश्यक पूर्व अनुमोदन के बारे में सूचित किया है, या यदि राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा देने के लिए आशय पत्र (चाहे किसी भी नाम से जाना जाए) जारी किया गया है, तो खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ से पहले, खनन पट्टा पूर्व अनुमोदन की शर्तों या आशय पत्र की शर्तों को पूरा करने के अधीन, उक्त अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर दिया जाएगा:

बशर्ते कि पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी खनिज के संबंध में, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के अलावा इस उप-धारा के खंड (बी) के तहत कोई पूर्वक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा।

6. रियायत नियम, 2016 के नियम 61 में कहा गया है कि रियायत नियम, 2016 9 को प्रभावी अधिनियम देने से पहले प्राप्त एस. ओ. संख्या 423 (ई) दिनांक 12.02.2015 के माध्यम से पुनर्वर्गीकृत लघु खनिजों सहित लघु खनिजों के खनन पट्टे के लिए सभी आवेदन, इसकी लंबित अवधि के बावजूद, अयोग्य हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में, इन आवेदनों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। परंतु एक अपवाद बनाता है और कहता है कि यदि एक आवेदक, जिसने 29.07.2016 से पहले आवेदन किया था, को अनुदान आदेश या आशय पत्र जारी किया गया था, या कोई अन्य आदेश जिसमें आवेदक की स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता थी, तो खनन पट्टे के लिए उसके आवेदन पर सभी आवश्यक शर्तों के उचित अनुपालन के बाद विचार किया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या प्रतिवादियों का मामला रियायत नियम, 2016 के नियम 61 के प्रावधान के संदर्भ में अपवाद के दायरे में आता है। हम पहले ही रियायत नियम, 2016 से निपटने वाले उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिए गए तर्क का उल्लेख कर चुके हैं और उन तथ्यों को उद्धृत करना चाहते हैं जो यह मानते हैं कि परंतुक वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा। इन टिप्पणियों में कहा गया है:

“25. न तो ऐसी हाल की नीति और न ही पश्चिम बंगाल लघु खनिज रियायत नियम, 2016 के प्रावधान मार्च, 1998 में किए गए रिट याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर लागू हो सकते हैं और इससे भी अधिक कि पट्टा देने के लिए संयुक्त सचिव का आदेश 13 अक्टूबर को है।

9 रियायत नियम, 2016 29.07.2016 293 पर लागू हुआ।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम एम./एस. चिरंजिलाल (खनिज) बागनडीह के उद्योग [संजीव खन्ना, जे.] 294 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 12 एस. सी. आर.

2006 और इस न्यायालय का दीर्घकालिक पट्टा अनुदान का निर्देश देने वाला दिनांक 10 सितंबर, 2014 ऐसी नीति से पहले और उक्त नियम लागू होने से पहले का है। यह आगे प्रतीत होता है कि रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा पर्यावरणीय पहलू को ध्यान में रखते हुए आवश्यक खनन योजना प्रस्तुत की गई है और अपीलार्थी/राज्य ने इसके संबंध में कोई शिकायत नहीं की है।"

7. उपरोक्त पैराग्राफ में संदर्भित नीति पश्चिम बंगाल राज्य के प्रधान सचिव द्वारा जारी किए गए 02.02.2018 दिनांकित पत्र के संदर्भ में है, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि खनन पट्टे के उद्देश्य से रूपांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना एक अनिवार्य शर्त है। विवादित निर्णय में दिनांकित 13.10.2006 आदेश का संदर्भ, या उस मामले के लिए, दिनांकित 26.10.2006 आशय पत्र असंगत है क्योंकि उक्त आदेशों को 03.12.2010 पर वापस ले लिया गया था और रद्द कर दिया गया था। आदेश जीवित नहीं रहे और उसके बाद भी उनका संचालन जारी रहा। 2003 की रिट याचिका संख्या 7505 (डब्ल्यू) को एकतरफा निपटाया गया था, यह देखे बिना कि 13.10.2006 दिनांकित आदेश को वापस ले लिया गया था या रद्द कर दिया गया था, हालांकि फैसले में निर्देश दिया गया था कि पट्टे के अनुदान के लिए आवेदन पर कानून और विचार के समय लागू नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा। दिनांकित 03.12.2010 आदेश को बागनडीह के प्रत्यर्थी संख्या 1-M/S. चिरंजीलाल (खनिज) उद्योगों द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई थी और इसने वास्तविकता प्राप्त कर ली है। सबसे अच्छा, बागनडीह के प्रतिवादी संख्या 1-एम/एस. चिरंजीलाल (खनिज) उद्योगों का मामला यह है कि 06.03.1998 दिनांकित आवेदन पर कानून के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।

8. बागनडीह के प्रत्यर्थी संख्या 1-मेसर्स चिरंजीलाल (खनिज) इंडस्ट्रीज ने भूषण पावर मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया है और

स्टील लिमिटेड बनाम एस. एल. सील, अपर सचिव (इस्पात और खान), राज्य

ओडिशा और अन्य 10. उक्त मामले में, याचिकाकर्ता के पूर्ववर्ती ने 1250 एकड़ क्षेत्र में लौह अयस्क के खनन के लिए ओडिशा राज्य के समक्ष पट्टा देने के लिए आवेदन किया था। आवेदन ओडिशा के संबलपुर जिले में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए था। मेसर्स भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड को खनन पट्टा देने की अस्वीकृति को उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका में चुनौती दी गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था, लेकिन इस अदालत के समक्ष दायर अपील को भूषण पावर एंड स्टील में दिनांक 1 के फैसले के माध्यम से अनुमति दी गई थी।

10 (2017) 2 एससीसी 125।

लिमिटेड और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य 11, आदेश को अलग करते हुए

राज्य सरकार दिनांक 09.02.2016 के निम्नलिखित निर्देशों के साथ: "41. उपरोक्त के आलोक में, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए गलती की कि वह राज्य सरकार के उस निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता जिसमें अपीलकर्ताओं को पहले के समझौता ज्ञापन के निर्वाह के दौरान सरकार के साथ एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था। चूंकि राज्य सरकार पहले ही खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 59 (2) के तहत दूसरों के पक्ष में आवंटन कर चुकी है, इसलिए राज्य की ओर से अपीलार्थियों को भी उक्त विशेषाधिकार से वंचित करने का कोई ठोस आधार नहीं बनाया गया था। तदनुसार, हम अपील की अनुमति देते हैं और उड़ीसा के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश और खनन पट्टा देने के लिए अपीलार्थियों के दावे को खारिज करते हुए राज्य सरकार के दिनांक 1 के निर्णय को भी खारिज कर देते हैं।

42. सुनवाई के दौरान, हमें सूचित किया गया है कि ठाकुरानी ब्लॉक ए में लौह अयस्क का बड़ा भंडार है, जिसमें अपीलार्थियों को भी समायोजित किया जा सकता है। हम, तदनुसार, उड़ीसा राज्य को दिनांकित समझौता ज्ञापन के संदर्भ में कार्य करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देते हैं, साथ ही लंपंगा में अपने इस्पात संयंत्र में अपीलकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त लौह अयस्क भंडार प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को अपीलकर्ताओं के मामले की सिफारिश करने की अपनी पिछली प्रतिबद्धताओं के अनुसार भी कार्य करने का निर्देश देते हैं।" 9. इसके बाद ओडिशा राज्य ने समीक्षा के लिए एक आवेदन का नेतृत्व किया

भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य में निर्णय

और एक अन्य 12 (ऊपर) जिसे 11.09.2012 दिनांकित आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। 10. दिनांक 1 के फैसले के गैर-अनुपालन और निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए, मैसर्स भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के नेतृत्व में एक अवमानना याचिका दायर की गई थी। अवमानना याचिका को ओडिशा राज्य द्वारा कई आधारों पर चुनौती दी गई थी, जिसमें यह भी शामिल है कि 14.03.2012 का निर्णय प्रवर्तन में असमर्थ है, जिसके लिए बाद के निर्णय पर निर्भरता रखी गई थी

इस न्यायालय ने संदूर मैंगनीज एंड आयरन ऑरेस लिमिटेड बनाम. कर्नाटक राज्य 13.

यह रुख इस न्यायालय के पक्ष में नहीं था और राज्य सरकार के अधिकारियों को दिनांकित 14.03.2012 के फैसले की अवमानना करते हुए पाया गया।

11 (2012) 4 एससीसी 246। 12 (2012) 4 एससीसी 246। 13 (2010) 13 एससीसी 1.

295

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम एम./एस. चिरंजिलाल (खनिज) बागनडीह के उद्योग 296 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 12 एस. सी. आर.

भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड बनाम में 22.04.2014 दिनांकित निर्णय के माध्यम से।

राजेश वर्मा 14. इन परिस्थितियों में, आई. डी. 1 दिनांकित निर्णय ने राज्य सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ केंद्र सरकार को आवश्यक सिफारिश भेजने का एक और अवसर दिया था, जिसमें कहा गया था कि यह न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि पक्षों के बीच एक निर्णय है, जो शून्य हो गया है। तदनुसार, यह तर्क कि

संदूर मैंगनीज एंड आयरन ऑरेस लिमिटेड (ऊपर) में यह न्यायालय नहीं करेगा

दिनांकित 14.03.2012 निर्णय में दिए गए निर्देशों को पूर्ववत करने को अस्वीकार कर दिया गया था। दिनांकित 22.04.2014 निर्णय में प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे पढ़ा गया है:

“21. हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एक निर्णय है,

पाटर्स, जो फि नाल बन गया है। यहां तक कि जब दीवानी अपील की सुनवाई की जा रही थी, तब भी कुछ अन्य पक्षों ने इन भूमि में अपने हित का दावा करते हुए हस्तक्षेप आवेदन दायर किए थे जिन्हें खारिज कर दिया गया था। उस समय भी यह उल्लेख किया गया था कि 195 आवेदक हैं। हालाँकि, इसके बावजूद, इस न्यायालय ने राज्य सरकार को दोनों क्षेत्रों में खनन पट्टे के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले की सिफारिश करने के लिए निर्देश जारी किए। निर्णय में दिए गए ऐसे स्पष्ट और असंदिग्ध निर्देशों को देखते हुए, जो वास्तविकता प्राप्त कर चुके हैं, केवल इसलिए कि इस न्यायालय द्वारा संदूर मैंगनीज मामले में एक और निर्णय दिया गया है, निहित निर्देशों को पूर्ववत करने का आधार नहीं हो सकता है।

दिनांकित 14-3-2012 निर्णय में। जहाँ तक संदूर मैंगनीज में निर्धारित कानून का संबंध है, उसे राज्य सरकार द्वारा अन्य आवेदनों के संबंध में लागू किया जा सकता है और उनका पालन किया जा सकता है जो अभी भी लंबित हैं। हालाँकि, इसे उस याचिकाकर्ता के लिए सेवा में नहीं डाला जा सकता है जिसके अधिकारों को उसके पक्ष में दिए गए फैसले से स्पष्ट किया गया है।

इसे फिर से नहीं खोला जा सकता है, वह भी उक्त निर्णय के कार्यान्वयन के चरण में।

22. एक बार जब हम यह मान लेते हैं कि उत्तरदाता दिनांक 1 के निर्णय में निहित निर्देश को लागू करने के लिए बाध्य हैं, जहां तक राज्य सरकार का संबंध है, तो यह उसका पालन करने के लिए बाध्य है और अन्य प्रासंगिक विचारों के साथ ऐसे मामलों को राज्य सरकार की सिफारिश पर निर्णय लेते समय केंद्र सरकार के विवेक पर छोड़ दिया जा सकता है।

14 (2014) 5 एससीसी 551।

एक्सएक्स

एक्सएक्स

24. हालांकि, हम उन्हें केंद्र को आवश्यक सिफारिशें भेजकर अवमानना को दूर करने का एक अंतिम अवसर दे रहे हैं।

सरकार।यह केंद्र सरकार का दायित्व होगा कि वह उक्त सिफारिशों पर अपने गुण-दोष के आधार पर और कानून के अनुसार विचार करे।

यदि इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर सिफारिश भेजी जाती है, तो हम आगे कोई कार्रवाई नहीं करने का प्रस्ताव करते हैं और प्रतिवादियों/अवमानकों को इस अवमानना याचिका से मुक्त कर दिया जाएगा।हालांकि, यदि प्रतिवादी ऊपर उल्लिखित तरीके से सफाई नहीं करते हैं, तो याचिकाकर्ताओं के लिए उचित आवेदन दायर करके इस न्यायालय को यह बताने के लिए खुला होगा और उस स्थिति में अवमानकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।"

(जोर दिया गया) 11।दिनांक 1 के निर्देशों के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को विचाराधीन क्षेत्र के खनन पट्टे के अनुदान के लिए आवश्यक सिफारिश भेजी थी।हालांकि, केंद्र सरकार ने यह रुख अपनाया कि एम. एम. डी. आर. अधिनियम, 1957 में संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा धारा 10-ए को लागू करते हुए, मैसर्स भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड द्वारा किया गया अनुरोध अमान्य है।उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिखा था, जिसकी एक प्रति मैसर्स भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड को भेजी गई थी।दिनांक 1 के पत्र में, केंद्र सरकार ने कहा था कि खनिज रियायत देने के लिए पूर्व अनुमोदन के अनुसार प्रस्ताव एम. एम. डी. आर. अधिनियम, 1957 की धारा 10-ए की उप-धारा (1) के संदर्भ में अयोग्य था और इसलिए, इसे बंद माना जाना चाहिए।हालांकि, राज्य सरकार यह पता लगा सकती है कि क्या प्रस्ताव एम. एम. डी. आर. अधिनियम, 1957 की धारा 10-ए के तहत अयोग्यता से सुरक्षित था और इसके बाद राज्य सरकार तदनुसार कार्रवाई कर सकती है।केंद्र सरकार द्वारा दिनांकित 29.05.2015 पत्र में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया था।इन संचारों के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने दिनांक 1 दिनांकित पत्र के माध्यम से मैसर्स भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड को सूचित किया था कि खनन पट्टा देने के लिए उनके आवेदन एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 10-ए की उप-धारा (1) के अनुसार अयोग्य हो गए थे।

297

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम एम./एस. चिरंजिलाल (खनिज) बागनडीह के उद्योग [संजीव खन्ना, जे.] 298

12. यह न्यायालय मैसर्स भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड **15 (ऊपर)** में,

विशेष रूप से इस तर्क की जांच की गई कि क्या उक्त मामले के तथ्यों में, एम. एम. डी. आर. अधिनियम, 1957 की धारा 10-ए के खंड (सी) से उप-धारा (2) को मैसर्स भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड द्वारा उठाए गए इस तर्क को ध्यान में रखते हुए लागू किया जा सकता है कि आशय पत्र राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा देने के लिए जारी किया गया था और इसलिए, उनका आवेदन संरक्षित है।निवेदन यह था कि राज्य सरकार द्वारा दी गई दिनांक 1 की सिफारिश को "जो भी नाम से जाना जाए" के आशय पत्र के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि यह राज्य सरकार के संबंध में खनन पट्टा देने के इरादे को दर्शाता है।यह भी तर्क दिया गया कि एम. एम. डी. आर. अधिनियम, 1957 की धारा 10-ए के तहत निहित नई व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार की मंजूरी की भी आवश्यकता नहीं थी और राज्य सरकार आगे बढ़ सकती थी और पट्टा प्रदान कर सकती थी।

13. उपरोक्त दलीलें इस न्यायालय के पक्ष में नहीं थीं

मैसर्स भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड (उपरोक्त) का मामला

इस न्यायालय का दिनांक 2 का पूर्व निर्णय और दिनांक 1 की अवमानना याचिका में पारित आदेश में इन टिप्पणियों के साथ कि राज्य सरकार निर्देशों का पालन करने में विफल रही है।यह

अदालत ने मैसर्स भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड में दलीलों को खारिज कर दिया

(ऊपर) और निम्नानुसार आयोजित किया गया: "17. निस्संदेह, धारा 10-ए की उप-धारा (1) के अनुसार, संशोधन अधिनियम, 2015 के लागू होने से पहले प्राप्त सभी आवेदन अपात्र हो जाते हैं।इस तरह के प्रावधान की व्याख्या करने का कारण खोजना दूर की बात नहीं है।संशोधन अधिनियम, 2015 के पारित होने से पहले, यह केंद्र सरकार थी जिसका प्रमुख खनिजों के खनन के संबंध में लाइसेंस देने पर अंतिम नियंत्रण था।उस समय की प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार केंद्र सरकार को खनन पट्टा देने के लिए किसी भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन की सिफारिश कर सकती थी और केंद्र सरकार को अनुमोदन

देने या अस्वीकार करने की शक्ति दी गई थी। इस प्रकार, पट्टा देने के लिए केंद्र सरकार से "पूर्व अनुमोदन" आवश्यक था, जिसके बिना राज्य सरकार प्रवेश नहीं कर सकती थी।

15 (2012) 4 एससीसी 246।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

आवेदक के साथ ऐसे किसी पट्टा समझौते में। इस प्रक्रिया की कमियों को इस न्यायालय द्वारा दिए गए अपने फैसले में देखा गया था

सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाम भारत संघ [(2012) 3 एस. सी. सी. 1] (संक्षिप्त "सी. पी. आई. एल. मामले" के लिए) और प्राकृतिक संसाधन आवंटन में भी, 2012 का विशेष संदर्भ संख्या 1 [प्राकृतिक संसाधन आवंटन, 2012 का विशेष संदर्भ संख्या 1, (2012) 10 एस. सी. सी. 1]। इनमें

निर्णयों में, इस न्यायालय ने व्यक्त किया कि प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन आम तौर पर नीलामी द्वारा किया जाना चाहिए। सी. पी. आई. एल. मामले में निर्णय की खनिज रियायतों के अनुदान के लिए सीधी प्रासंगिकता थी क्योंकि सरकार ने पाया कि इसके परिणामस्वरूप बहुउद्देशीय मुकदमेबाजी हो रही थी जो प्रतिकूल हो रही थी। खनन अध्यादेश, 2015 को 2015 में पारित किया गया था, जिसे अंततः संसद द्वारा संशोधन अधिनियम, 2015 लागू करने पर बदल दिया गया था।

18. उद्देश्यों और कारणों के विस्तृत विवरण से पता चलता है कि अधिनियम में व्यापक संशोधन कोयला और इस्पात पर स्थायी समिति द्वारा व्यापक परामर्श और गहन जांच के बाद किया गया था, जिसने मई 2013 में अपनी रिपोर्ट दी थी। जैसा कि बयान से स्पष्ट है कि विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव किया गया था क्योंकि मौजूदा अधिनियम खनिज रियायतों की नीलामी की अनुमति नहीं देता है। यह देखा गया कि खनिज रियायतों की नीलामी के साथ, आवंटन में पारदर्शिता में सुधार होगा; सरकार को खनिज संसाधनों के मूल्य का एक बड़ा हिस्सा मिलेगा; और यह प्रक्रियात्मक देरी को कम करेगा, जो बदले में मंदी को रोकेगा जो खनन क्षेत्र के विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

19. संशोधन अधिनियम, 2015, जैसा कि उद्देश्यों से स्पष्ट है, का उद्देश्य है: (i) विवेकाधिकार को समाप्त करना; (ii) खनिज संसाधनों के आवंटन में पारदर्शिता में सुधार; (iii) प्रक्रियाओं को सरल बनाना; (iv) प्रशासन में देरी को समाप्त करना, ताकि देश के खनिज संसाधनों का तेजी से और इष्टतम विकास हो सके; (v) सरकार के लिए खनिज संसाधनों के मूल्य का एक बड़ा हुआ हिस्सा प्राप्त करना; और (vi) निजी निवेश और नवीनतम तकनीक को आकर्षित करना।

20. संशोधन अधिनियम, 2015 ने धारा 3, 4, 4-ए, 5, 6, 13, 15, 21 और पहली अनुसूची में संशोधन; धारा 8, 11 और 13 के लिए नई धाराओं का प्रतिस्थापन; और नई धारा 8-ए, 9-बी, 299 को शामिल करने की शुरुआत की।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम एम./एस. चिरंजिलाल (खनिज) बागनडीह के उद्योग [संजीव खन्ना, जे.] 300

9-सी, 10-ए, 10-सी, 11-बी, 11-सी, 12-ए, 15-ए, 17-ए, 20-ए, 30-बी, 30-सी और चौथी अनुसूची।

21. ये संशोधन प्रचलन में लाए गए: (i) नीलामी आवंटन का एकमात्र तरीका होगा; (ii) मौजूदा पट्टे की अवधि को उनके अंतिम नवीनीकरण की तारीख से बढ़ाकर (कैप्टिव खानों के मामले में) (व्यापारी खनिकों के लिए) (व्यापारी खनिकों के लिए) या पहले से दिए गए नवीनीकरण के पूरा होने तक, यदि कोई हो, या ऐसा पट्टा देने की तारीख से 50 साल की अवधि तक; (iii) खनन संबंधी गतिविधियों से प्रभावित व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना; (iv) खनन पट्टाधारकों के योगदान से बनाए गए राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास की स्थापना, ताकि अन्वेषण और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक समर्पित निधि हो; (v) अन्वेषण के लिए केंद्र सरकार से "पूर्व अनुमोदन" की आवश्यकता वाले प्रावधानों को हटा दिया जाए। इस प्रकार प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाना; (vi) अवैध खनन को रोकने के लिए प्रति हेक्टेयर 5 लाख रुपये तक का अधिक जुर्माना और 5 साल तक की कैद निर्धारित करने वाले कड़े दंडात्मक प्रावधानों की शुरुआत; और (vii) राज्य सरकार को अधिनियम के तहत अवैध खनन के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने का अधिकार देना।

14. इस प्रकार, संशोधन अधिनियम, 2015 का उद्देश्य और उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खनिज संसाधनों का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया जाए। यही कारण है कि एम. एम. डी. आर. अधिनियम, 1957 की धारा 10-ए की उप-धारा (1) यह अनिवार्य करती है कि 12.01.2015 से पहले प्राप्त सभी आवेदन अपात्र हो जाएंगे। अपवाद या बचत खंड एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 10-ए की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट तीन प्रकार की स्थितियों पर लागू होता है। 1957 में प्रथम श्रेणी वह है जहाँ एम. एम. डी. आर. अधिनियम, 1957 की धारा 11-ए के तहत आवेदन प्राप्त किया गया है। दूसरी श्रेणी वह है जहाँ एक टोही परमिट या एक पूर्वक्षणा लाइसेंस दिया गया है, परमिट धारक या लाइसेंसधारी को खनन पट्टे के बाद पूर्वक्षणा लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार है और राज्य सरकार को यह संतुष्ट किया जाता है कि परमिट धारक या लाइसेंसधारी ने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 10-ए की उप-धारा (2) के खंड (बी) के उप-खंड (i) से (iv) में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का पालन किया है। इस वर्ग के मामलों को बचाने का कारण इस तथ्य के कारण है कि उन्होंने पैसा खर्च करके अपनी स्थिति बदल ली थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

टोही संचालन या संभावित संचालन पर। तदनुसार, वैध अपेक्षा का सिद्धांत लागू किया जाता है। तीसरी श्रेणी वह है जहाँ केंद्र सरकार ने संशोधन अधिनियम 2015 के लागू होने से पहले ही अपनी पिछली मंजूरी दे दी थी या राज्य सरकार ने खनन पट्टा देने के लिए आशय पत्र जारी किया था। इसका कारण यह है कि इन आवेदकों को कुछ अधिकार प्राप्त हुए थे क्योंकि सभी आवश्यक प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं का पालन किया गया था और केवल औपचारिक पट्टा निष्पादित किया जाना बाकी है।

15. इस सवाल पर विचार करते हुए कि क्या राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिनांक 1 के अनुमोदन पत्र को शब्दों पर आधारित आशय पत्र के रूप में माना जा सकता है, चाहे वह किसी भी नाम से हो, कौन सी अभिव्यक्ति, इसे प्रस्तुत की गई थी, इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक व्याख्या दी जानी चाहिए कि 'किसी भी नाम से' की गहराई से और विस्तार से जांच की गई थी। उन पक्षों के बीच प्रारंभिक समझ के रूप में 'आशय पत्र' शब्द के अर्थ के लिए कानूनी शब्दकोश का संदर्भ दिया गया था जो अनुबंध करने या आगे की कार्रवाई के लिए एक साथ शामिल होने का इरादा रखते हैं। संदर्भ भी दिया गया था

ऋषि किरण लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम कांडला पोर्ट ट्रस्ट और अन्य के न्यासी मंडल 16 और राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड बनाम महा लक्ष्मी मिंग्रेट विपणन सेवा मामले में इस न्यायालय के निर्णय

प्राइवेट लिमिटेड और अन्य 17 हालाँकि, उक्त तर्क को अन्य बातों के साथ-साथ अस्वीकार कर दिया गया था:

“26. उपरोक्त अर्थ को लागू करते हुए, क्या यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार का दिनांकित 24-5-2014 पत्र एक आशय पत्र होगा? हम डरते हैं, जवाब नकारात्मक होना चाहिए। कारण सरल है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, राज्य सरकार को संभावित लाइसेंसधारी के साथ किसी भी पट्टा समझौते/अनुबंध में प्रवेश करने में सक्षम बनाने के लिए, केंद्र सरकार की "पूर्व मंजूरी" आवश्यक थी। जब तक ऐसी मंजूरी नहीं मिलती, तब तक राज्य सरकार किसी भी अनुबंध में प्रवेश करने के अपने इरादे के बारे में संभावित लाइसेंसधारी/पट्टेदार को नहीं बता सकती क्योंकि पूर्व शर्त पूर्व अनुमोदन की कमी होगी। इसलिए, राज्य सरकार द्वारा भविष्य में अनुबंध करने का इरादा दिखाने वाले किसी भी आवेदक से कोई वादा नहीं किया जा सकता है। पद होगा

16 (2015) 13 एससीसी 233। 17 (1996) 10 एससीसी 405।

301

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम एम./एस. चिरंजिलाल (खनिज) बागनडीह के उद्योग [संजीव खन्ना, जे.]

केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 24-5-2014 दिनांकित पत्र जारी किया गया था। हालाँकि ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार को लिखा गया यह पत्र केवल सिफारिश करने वाला था और अंतिम निर्णय केंद्र सरकार के पास था। यह एक अलग बात है यदि केंद्र सरकार किसी भी बाहरी कारण या दुर्भाग्य पर अपनी मंजूरी देने से इनकार करती है या आवेदन को अस्वीकार करते समय प्रासंगिक कारकों/सामग्री को ध्यान में नहीं रखती है, जो कार्रवाई का एक अलग कारण बन सकता है और ऐसी कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा की मांग करने के लिए कानून में उपलब्ध आधारों पर आवेदन को अस्वीकार करने वाली केंद्र

सरकार की कार्रवाई को चुनौती देने का कारण बन सकता है। हालाँकि, हम वर्तमान मामले में उस स्थिति से नहीं निपट रहे हैं। हमारी चर्चा हमारे समक्ष उठाई गई याचिका पर आधारित है अर्थात् क्या 24-5-2014 दिनांकित पत्र को "आशय पत्र" कहा जा सकता है। ऊपर बताए गए कारणों से, हमारा विचार है कि यह आशय पत्र नहीं था। इसलिए याचिकाकर्ता का आवेदन अधिनियम की धारा 10-ए के खंड (सी) के दायरे में नहीं आएगा।

27. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि याचिकाकर्ता मूल रूप से अपील में सफल हो गया था क्योंकि राज्य सरकार को पक्षकारों के बीच हुए समझौता ज्ञापन के संदर्भ में याचिकाकर्ता के मामले की केंद्र सरकार को सिफारिश करने का निर्देश देते हुए दिनांक 1 का निर्णय दिया गया था। ऐसा नहीं किया गया था और भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड बनाम में पारित 22-4-2014 के आदेशों में निर्णय को दोहराया गया था। राजेश वर्मा [। यह संभव है कि राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई की होती और सिफारिशें पहले भेज दी होतीं, तो केंद्र सरकार अपनी मंजूरी दे देती। हालाँकि, यह अनुमानों के दायरे में होगा कि वह ऐसा कर सकता था या नहीं। जहां तक केंद्र सरकार का संबंध है, इस न्यायालय द्वारा कभी कोई निर्देश नहीं दिया गया था। इसके विपरीत, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड बनाम भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड में दिनांकित 22-4-2014 आदेश में इसे स्पष्ट रूप से देखा गया था। राजेश वर्मा ने कहा कि यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह राज्य सरकार की सिफारिशों पर अपने गुण-दोष के आधार पर और कानून के अनुसार विचार करे। यदि केंद्र सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया है, तो यह वर्तमान अवमानना याचिका का विषय नहीं हो सकता है।"

16. उपरोक्त निर्णय हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, हालांकि वर्तमान मामले में, अधिसूचना सं. एस. ओ. 423 (ई) दिनांक 10.02.2015, डोलोमाइट

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

इसे एक लघु खनिज के रूप में अधिसूचित किया गया था और इसलिए, केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता इस कारण से नहीं थी कि दिनांकित अनुदान आदेश को पट्टा विलेख के निष्पादन से पहले विचाराधीन भूमि के मालिकों (रैंयत) के सहमति पत्र जमा करने की आवश्यकता सहित पूर्व शर्तों के साथ हेज किया गया था, या एक शर्त थी कि इस प्रभाव अधिनियम की एक शर्त को पट्टे के मसौदे में शामिल किया जाएगा। इसलिए, हमारी राय में, दिनांकित अनुदान आदेश अनंतिम है, और उसमें दी गई शर्तों को पूरा करने के अधीन है। यह दिनांकित अनुदान आदेश 16.07.2015 की शर्तों से स्पष्ट है, जो नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

"

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

(क) आपको खनिज रियायत नियम, 1960 में निर्धारित मॉडल प्रपत्र के यू. एस. में खनन पट्टा विलेख का मसौदा प्रस्तुत करना होगा, जैसा कि आज तक संशोधित किया गया है (एम. सी. नियम, 1960 का 1 नियम 31)।

(ख) खनन पट्टा विलेख का मसौदा टिकाऊ कागजों में अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए और दो पंक्तियों के बीच पर्याप्त जगह रखी जानी चाहिए ताकि यदि आवश्यक हो, तो उसमें सुधार की अनुमति दी जा सके।

(ग) निष्पादन के बाद पट्टा विलेख आपके द्वारा अपने खर्च पर पंजीकृत किया जाएगा और विलेख के पंजीकरण से पहले कोई खनन कार्य शुरू नहीं किया जाना चाहिए।

(घ) यदि नगर निगम नियम, 1960 के नियम 22 (4) और 22 ए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, तो आपको अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत करनी होगी।

(ई) यदि आपको एम 1 ईएफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 से प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो आपको पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्रस्तुत करनी होगी, (च) आपको पट्टे के विलेख [जल अधिनियम, 1974 की धारा 25 और 26 और वायु अधिनियम, 1981 की धारा 21] के निष्पादन से पहले डब्ल्यूबीपीसीबी से स्थापित करने और संचालित करने के लिए सहमति प्रस्तुत

करनी होगी, (छ) आपको अनुमोदित खदान योजना [नगर निगम नियम, 1960 के नियम 22 ए और 45 (आई. ए.) में निर्धारित खनिजों की न्यूनतम मात्रा वार्षिक रूप से जुटानी होगी।

(ज) आपको रुपये जमा करने होंगे। 10, 000/- (दस हजार रुपये) केवल पट्टे के नियमों और शर्तों के उचित पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में, 303

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम एम./एस. चिरंजिलाल (खनिज) बागनडीह के उद्योग [संजीव खन्ना, जे.] 304

उचित खाते के शीर्ष के तहत जो पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद आपको वापस किया जाएगा, जब तक कि सरकार द्वारा देय राशि के भुगतान में चूक सहित आपकी ओर से किसी भी चूक के लिए इसका पूरा या एक हिस्सा सरकार द्वारा रोक नहीं लिया जाता है या जब्त नहीं किया जाता है [नगर निगम नियम, 1960 का नियम 32],

(i) लीज डीड (रैंयतों की सहमति) के निष्पादन से पहले आपको विचाराधीन भूमि के मालिक (ओं) का सहमति पत्र (ओं) प्रस्तुत करना होगा या इस आशय की शर्त को मसौदा डीड (नियम 22 (3) (i) (1t)) में शामिल किया जाना चाहिए।

(जे) आपको वन प्राधिकरण के एन. ओ. सी. को उचित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा, यदि लागू क्षेत्र उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित वन क्षेत्र में आता है, तो मसौदा पट्टा विलेख या उस प्रभाव की शर्त के साथ मसौदा विलेख [वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2] में शामिल किया जाना चाहिए।

(के) उत्खनन या खुदाई के वास्तविक संचालन के लिए, निकटवर्ती 1 भूखंड या भूखंडों की बाहरी सीमा से दस (10) गज का स्पष्ट अंतर रखा जाएगा और पूरे संचालन के दौरान रखरखाव किया जाएगा और आपको उस प्रभावी अधिनियम या निगम को एक लिखित वचन देना होगा।

(I) आपको मसौदा पट्टा विलेख में एम. सी. नियम, 1960 में उल्लिखित सभी शर्तों को शामिल करना होगा,

(एम) आपको विलेख के निष्पादन से पहले अद्यतित रॉयल्टी क्लियरेंस, इनकम टैक क्लियरेंस और वैट क्लियरेंस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे, (एन) आपको ड्राफ्ट डीड के साथ, डीएल एंड एलआरओ और डीएमएम, पश्चिम बंगाल द्वारा विधिवत जांचा गया एक भू-संदर्भ मानचित्र प्रस्तुत करना होगा, यदि प्रस्तुत नहीं किया गया है,

(ओ) आपने आवश्यक भूमि रखने के लिए डब्ल्यू. बी. एल. आर. अधिनियम, 1955 की धारा 14 वाई के तहत अनुमति प्राप्त कर ली होगी।

(पी) आपको उपयुक्त प्राधिकरण (डब्ल्यूबीएलआर अधिनियम, 1955 की धारा 4 सी) से भूमि के भूखंडों के लिए रूपांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, (क्यू) आपको उपयुक्त प्राधिकरण से वर्तमान भूमि उपलब्धता रिपोर्ट (एलएआर) प्रस्तुत करनी होगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 12 एस सी आर।

(आर) उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पर निर्धारित अवधि के भीतर विलेख का निष्पादन न होने की स्थिति में पट्टे को मंजूरी देने वाला आदेश रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(I) इस विभाग को निष्पादन पट्टा विलेख प्रस्तुत करने से पहले आपको सभी वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

(टी) यह अनुदान आदेश और पट्टा विलेख का बाद में निष्पादन इस विभाग द्वारा भारत सरकार से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन. ओ. सी.) के अधीन है क्योंकि आवेदक ने इस आधार पर खनन पट्टा के लिए अनुरोध किया था कि खनिज डोलोमाइट के लिए आशय पत्र (एल. ओ. एल.) जारी किया गया था जो माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के आदेश के समय एक प्रमुख खनिज था।

एक्सएक्स

17. रैयत भूमि का उपयोग खेती आदि के लिए किया जाना है, न कि खनन के लिए। एक बार खनन गतिविधि शुरू होने के बाद, रैयत भूमि का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे। डब्ल्यू. बी. एल. आर. अधिनियम, 1955 की धारा 2 की उप-धारा (10) के संदर्भ में, एक रैयत का अर्थ है कोई व्यक्ति या संस्था जो किसी भी उद्देश्य के लिए भूमि धारण करती है। हालाँकि, डब्ल्यू. बी. एल. आर. अधिनियम, 1955 की धारा 4 की उप-धारा (2 ए) के संदर्भ में भूमि के संबंध में रैयत के अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को अपनी पकड़ से रेत निकालने, खोदने या उपयोग करने की अनुमति नहीं देते हैं, या किसी भी व्यक्ति को ईंटों या टाइलों के निर्माण के लिए अपनी पकड़ की मिट्टी या मिट्टी खोदने या उपयोग करने की अनुमति नहीं देते हैं, सिवाय राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुमति के। शर्त के उल्लंघन के मामले में, निर्धारित प्राधिकारी, एक रैयत को कारण बताने के लिए नोटिस और अवसर देने के बाद, मौद्रिक जुर्माना लगा सकता है। इसके अलावा, एक आदेश पारित होने पर, भूमि सभी बाधाओं से मुक्त राज्य में निहित होगी। डब्ल्यू. बी. एल. आर. अधिनियम, 1955 की धारा 4-बी में कहा गया है कि किसी भी भूमि पर कब्जा करने वाला प्रत्येक रैयत ऐसी भूमि का रखरखाव और संरक्षण इस तरह से करेगा कि क्षेत्र कम न हो या इसका चरित्र न बदले या भूमि को उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए परिवर्तित न किया जाए, जिसके लिए इसे निपटाया गया था या पहले रखा गया था, सिवाय कलेक्टर की लिखित पूर्व अनुमति के। हमारे उद्देश्य के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण डब्ल्यू. बी. एल. आर. अधिनियम, 1955 की धारा 3 ए है, जिसमें कहा गया है कि सभी गैर-कृषि किरायेदारों और कम किरायेदारों के अधिकार और हित राज्य में सभी बाधाओं से मुक्त होंगे और पश्चिम बंगाल संपदा अधिग्रहण अधिनियम, 1953 की धारा 5 और 5 ए के प्रावधान लागू होंगे। उप-धारा 305 द्वारा एक अपवाद बनाया गया है।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम एम./एस. चिरंजीलाल (खनिज) बागनडीह के उद्योग [संजीव खन्ना, जे.]

(2) डब्ल्यू. बी. एल. आर. अधिनियम, 1955 की धारा 3 ए, जहां एक गैर-कृषि किरायेदार या कम किरायेदार के पास किसी भी भूमि का खास कब्जा है, उस स्थिति में वह भूमि को रैयत के रूप में बनाए रखने का हकदार है। रैयत द्वारा भूमि के हस्तांतरण से संबंधित प्रावधान भी हैं। यदि विचाराधीन भूमि पर खेती नहीं की जा रही थी, तो वर्गीकरण में बदलाव की आवश्यकता है।

18. डब्ल्यू. बी. एल. आर. अधिनियम, 1955 की धारा 4-सी से संबंधित विवाद का निर्णय केवल ज्ञापन संख्या के आधार पर नहीं किया जा सकता है। वी/आर. टी. आई./775/15 दिनांक 06.03.2017 उप जिला भूमि और भूमि सुधार कार्यालय, पुरुलिया द्वारा जारी किया गया कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि को 'डूंगरी' के रूप में दर्ज किया गया था। इसका कारण यह है कि रैयत की भूमि खनन के लिए नहीं है। इस प्रकार, एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, क्योंकि रैयत भूमि का अनुदान और 'डूंगरी' के रूप में उसी भूमि का वर्गीकरण विरोधाभासी है।

19. इसके अलावा, क्या बागनडीह के प्रत्यर्थी संख्या 1-एम/एस. चिरंजीलाल (खनिज) उद्योगों द्वारा प्राप्त भूमि (रैयत) के मालिकों का सहमति पत्र अभी भी सही है, प्रासंगिक होगा क्योंकि हस्तांतरण, विरासत आदि के कारण हाथ बदल सकते हैं। इससे जुड़े कानूनी मुद्दे हैं। पहला, क्या बागनडीह के प्रत्यर्थी संख्या 1-मेसर्स चिरंजीलाल (खनिज) उद्योगों ने दिनांकित अनुदान आदेश जारी होने के बाद, लेकिन रियायत नियम, 2016 के प्रवर्तन से पहले, रियायत नियम, 2016 के नियम 61 का लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी स्थिति बदल दी थी? तथ्यों का पता लगाना आवश्यक है और उसके बाद ही कोई व्यक्ति इस प्रश्न पर निर्णय और निर्णय ले सकता है कि क्या बागनडीह का प्रत्यर्थी संख्या 1-मेसर्स चिरंजीलाल (खनिज) उद्योग रियायत नियम, 2016 के नियम 61 के प्रावधान के लाभ का हकदार है। इसकी पुष्टि और पुष्टि नहीं की गई है। इस बात पर एक मुद्दा उठेगा कि क्या 1998 में बागनडीह के प्रत्यर्थी संख्या 1-एम/एस. चिरंजीलाल (खनिज) उद्योगों के नेतृत्व में आवेदन अभी भी अच्छा रहेगा क्योंकि उस समय, जब आवेदन दायर किया गया था, केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता थी। एक अन्य अड़चन यह है कि डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. को एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया है, हालांकि यह हमेशा बागनडीह के प्रतिवादी संख्या 1-एम./एस. चिरंजीलाल (खनिज) इंडस्ट्रीज द्वारा किए गए दावे का विरोध कर रहा था। डब्ल्यू. बी. एम. डी. टी. सी. एल. द्वारा किए गए आवेदन को रद्द करने या अस्वीकार करने के सवाल पर, हमने ऊपर टिप्पणी की है। हालाँकि, हम जो आदेश और निर्देश जारी कर रहे हैं, उसके आलोक में हमें इन मुद्दों की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, हम महसूस करते हैं कि रिमांड आदेश इस विशिष्ट समय पर पारित नहीं किया जाना चाहिए।

20. ऐसा कहने के बाद, यह अपीलकर्ताओं-पश्चिम बंगाल राज्य का रुख है कि वे विचाराधीन भूमि के 20.87 एकड़ के मालिक हैं और इस हद तक, उन्हें खनन पट्टे को निष्पादित करने में कोई कठिनाई नहीं है। यह कथित रुख होने के कारण, जिसे हमारे समक्ष भी रखा गया है, उक्त क्षेत्र के लिए बागनडीह के प्रत्यर्थी संख्या 1-एम/एस. चिरंजीलाल (खनिज) उद्योगों को खनन पट्टा देने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

21. हमारे समक्ष दलीलों के दौरान, अपीलकर्ताओं द्वारा डब्ल्यू. बी. एल. आर. अधिनियम, 1955 के प्रावधानों और निर्णय का संदर्भ दिया गया था।

इस न्यायालय ने थ्रेसियाम्मा जैकब और अन्य बनाम भूविज्ञानी, खनन और भूविज्ञान विभाग और अन्य 18. हमने उक्त की जाँच नहीं की है

ऐसे पहलू जिन्हें खुला छोड़ दिया गया है और जिन पर निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, हम यह अवलोकन करना उचित समझते हैं कि थ्रेसियाम्मा जैकब और अन्य (ऊपर) मामले में इस न्यायालय का निर्णय संशोधन अधिनियम, 2015 और रियायत नियम, 2016 के प्रवर्तन से पहले का है। संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा किए गए संशोधन उक्त मामले में निर्णय का विषय नहीं थे और अदालतों और अधिकारियों द्वारा विचार किया जाना चाहिए क्योंकि निर्णय का बाध्यकारी अनुपात किसी दिए गए निर्णय में विचार किए गए, व्याख्या किए गए और लागू किए गए कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करता है। जब कानून में संशोधन द्वारा कानून बदलता है, तो संशोधित कानूनी प्रावधानों पर विचार किया जाना चाहिए, व्याख्या की जानी चाहिए और उन्हें लागू किया जाना चाहिए।

तदनुसार, और बताए गए कारणों के लिए, हम वर्तमान अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं और इस निर्देश के साथ विवादित फैसले को दरकिनार करते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार बागनडीह के प्रतिवादी संख्या 1-एम/एस. चिरंजीलाल (खनिज) उद्योगों के पक्ष में 20.87 एकड़ भूमि के लिए खनन पट्टा निष्पादित करेगी। 2016 की रिट याचिका संख्या 20309 (डब्ल्यू) को ऊपर बताए गए हद तक अनुमत माना जाएगा। खनन पट्टे के अनुदान के लिए शेष क्षेत्र के प्रति बागनडीह के प्रत्यर्थी संख्या 1-एम/एस. चिरंजीलाल (खनिज) उद्योगों के दावे को अस्वीकार और खारिज माना जाएगा। वर्तमान मामले के तथ्यों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

अंकित ज्ञान

18 (2013) 9 एससीसी 725।